

23/6/21

पचावली पेश हुई। अभिवाणक पार्सी,
 पार्सी कल्लु खा व जमानत नामा एकरा
 उपस्थित। आदेश दिनांक 14/6/21 को
 पालन में प्रस्तुत सुपुर्देगी नामा व
 जमानत नामा केदिक क्रिये जाकर शा.
 फ. क्रिये जाये। शानाधिकारी किशोरगंज
 को लिखा जावे कि यदि एक ठं
 RJ17 GA 2225 क्रिये किसी एक ठं
 वांछित न हो तो पार्सी कल्लु खा को
 सुलेमान रण जावे सुसलमान निवासी
 घोसला तहसील महीदपुर शाना राहावी
 जिला उज्जैन (म.प्र.) को सुपुर्दे कर
 करीद न्यायालय में पेश करे। फर्द
 दस्तवेज के साथ प्रस्तुत करे वाला
 शा.फ. रहे। केस जारी शानाधिकारी
 किशोरगंज को जारी जावे। पचावली
 फसल शमार लेकर ठंकर से कम हो
 बाद तामील अभिलेख में उचित हो।

क. 3/3/21

पना/म/म

जिला कलक्टर
राज (राज०)

जिसा जापरी
काय की

राजस्थान हा
३९
३०६